न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग/2969/II/15

मु बतूलन खां पत्नि गुलाब खां

निवासी ग्राम बैडरी तह. पलेरा जिला टीकमगढ .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. रामदीन तनय बल्दुवा कुशवाहा

   निवासी ग्राम बैडरी तह. पलेरा जिला टीकमगढ .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह. पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/08/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बैडरी स्थित भूमि खसरा क्र 315/2 भूमि निगरानीकर्ता के भूमिस्वामी स्वानित्व की भूमि है तथा भूमि खसरा क्र 315/1, 318/1 निगरानीकर्ता के पति के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है। अनावेदक क्र 2 द्वारा भूमि खसरा क्र 322 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R........10/15........ जिला टीकमगढ़

बबूलन खाँ / रामदीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	— प्रकरण में आवेदक अभि. श्री जितेन्द्र सिंघई उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि ग्राम बडेरी में खसरा क्रमांक 315/2 निगरानीकर्ता तथा 315/1 एवं 318/1 निगरानीकर्ता आवेदक के खाते की भूमि है। अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 322 के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से रा०नि० द्वारा अपने आदेश दिनांक-12-8-15 से सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि कर सीमांकन प्रकरण समाप्त किया गया किन्तु सीमांकन कार्यवाही से पूर्व सरहदी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही आवेदक को कोई सूचना दी गई। इस प्रकार बिना हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना के एक पक्षीय रूप से किए गये सीमांकन दिनांक 12-8-15 को निरस्त करने का निवेदन किया गया। इसके साथ ही वही तथ्य तर्कों में व्यक्त किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें विचार में लिया जा रहा है। — प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय रा०नि० के द्वारा संधारित सीमांकन संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां जो निगरानी के संलग्न हैं, का अवलोकन किया गया। अवलोकन	

[कृ. प. उ.

(10) R-2969-II/15 टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	बतूलन / रामदीन कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों [redacted]भाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है यह भी दर्शित हो रहा है कि हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई है इस प्रकार एक पक्षीय सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो संहिता की धारा 129 का उल्लंघन होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि रा०नि० पलेरा मण्डल पलेरा जिला टीकमगढ़ का सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 12.8.15 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक पलेरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सीमांकन हेतु आवेदित भूमि के आसपास के सरहदी सर्वे नम्बरों का पटवारी नक्शे से पता कर उन सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना दें तथा आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों जो पटवारी अभिलेख से सरहदी प्रमाणित हो रहे हों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें तथा संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के पालन में सीमांकन कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	